न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 334/2016 **दायरा दिनांक : 28.09.2016**

उनवान

ग्यारस्या आयु 75 साल पुत्र श्री गंगालियां, जाति चमार, निवासी ग्राम बडोदिया, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— कन्हैया लाल आयु 60 साल पुत्र श्री किशना, जाति चमार, निवासी ग्राम बडोदिया, तहसील छबडा, जिला बारां हाल निवासी लकडाई, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2— हीरा लाल आयु 55 साल पुत्र श्री किशना, जाति चमार, निवासी ग्राम बडोदिया, तहसील छबडा, जिला बारां हाल निवासी लकडाई, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3— कजोड पुत्र श्री नामालुम, जाति चमार, निवासी ग्राम बडोदिया, तहसील छबडा, जिला बारां

4— राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब छबडा, जिला बारां

5— उपपंजीयक अधिकारी महोदय, छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री हेमराज बैरवा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजमोहन राठौड अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.11.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 194/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 और 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम बडोदिया, तहसील छबडा, जिला बारां में आराजी खसरा नम्बर 53/229 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 202 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 202/226 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 203 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल 6 किता की आराजियात 12 बीघा 3 बिस्वा स्थित है, जो पूर्व में किशना वादी एवं वादी के भाई जगन्नाथ के खाते में दर्ज थी । आराजी में वादी और उसके भाई का 1/2 हिस्सा और किशना का 1/2 हिस्सा है । किशना का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके हिस्से की भूमियां प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम दर्ज है । जगन्नाथ का वारिस वादी है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 का 1/2 हिस्सा है । प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 ने जगन्नाथ की भूमियों को हडपने के लिए प्रतिवादी नम्बर 3 को जगन्नाथ का पुत्र दर्शाया है और जगन्नाथ के हिस्से की भूमि को हडपने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादी 45 वर्ष से जगन्नाथ के हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है । प्रतिकूल कब्जे से भी वो खातेदार हो गया है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी को जगन्नाथ के 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित

किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.06.2016 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार में बिना अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये दावा खारिज किया है । अपीलांट जगन्नाथ का सगा भाई है । जगन्नाथ ला औलाद फौत हुआ है । आराजी पर रेस्पोडेंट का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । अपीलांट का 45 वर्ष से कब्जा है । अपीलांट धारा 63 के तहत खातेदार हो चुका है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 23.08.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व न्यायालय में सी पी सी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट की तामील करवायी गयी थी फिर भी वो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में मजमे आम में विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में दावा तनकीयात की कायमी हेतु लम्बित था और उसको दिनांक 13.02.2016 में रखा गया । दिनांक 13.02. 2016 को कोई सहमति नहीं बनी और उसको दिनांक 18.06.2016 को लोक अदालत में रखा गया । दिनांक 18.06.2016 में प्रतिवादीगण उपस्थित हुए हैं परन्तु वादी उपस्थित नहीं है । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है और लोक अदालत में उसी दिन दावे का निस्तारण करते हुए दावे को खारिज किया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण हो सकता है, जिसमें उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो, इसके अभाव में सी पी सी की पालना करते हुए तनकीयात कायम करते हुए तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ नयायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व

डिक्री दिनांक 18.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.01.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा